प्रेस नोट दिनांक 14.10.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंडित का पुरवा मजरे खैरा पुरे छेमी में हुई डकैती करने का प्रयास / फायरिंग करने की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कालाकांकर रोड को जाने वाले नहर रोड़ के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त राजकुमार उर्फ बाबा उर्फ राजू थाना लालगंज में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी जैसे कई अपराधों में है संलिप्त

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार उर्फ बाबा उर्फ राजू के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315बोर किया गया बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 28.09.2024 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंडित का पुरवा मजरे खैरा पुरे छेमी में वादी के घर में डकैती करने का प्रयास व फायरिंग कर घायल करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 415/24 धारा 331(8) BNS बनाम 05 अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 14.10.2024 को थाना लालगंज के निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 दीपक कुमार यादव, का0 सुमित शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना लालगंज के मु0अ0सं0 415/24 धारा 331(8) BNS से संबंधित अभियुक्त राजकुमार उर्फ बाबा उर्फ राजू पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी ग्राम सराय निरभू मजरे बबुराही थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचा 315बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कालाकांकर रोड को जाने वाले नहर रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राजकुमार उर्फ बाबा उर्फ राजू उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं ओर मेरे अन्य साथियों अजय उर्फ अन्नू उर्फ विनय, मुस्तफा खान मूसा, कमलाकान्त उर्फ भुइला, वृन्दावन मिश्रा के साथ ग्राम पंडित का पुरवा मजरे खैरा पुरे छेमी में एक घर में छिपकर बैठे थे कि गांव वालों ने हमें घेर लिया था । हम लोग फायरिंग करते हुये अधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गये थे। थाना लालंगज पुलिस द्वारा अभियुक्त वृन्दावन मिश्रा को जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- अभियुक्त राजकुमार उर्फ बाबा उर्फ राजू पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी ग्राम सराय निरभू मजरे बबुराही थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0- 415/24 धारा 331(8) BNS व 3/25आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01. 01 देशी तमंचा 315 बोर बरामद
02. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

पुलिस टीम-
निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 दीपक कुमार यादव, का0 सुमित शर्मा थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त 04 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया अभियोग पंजीकृत-

गिरोह लीडर दुर्गेश शुक्ला जनपदीय स्तर का शातिर अपराधी है जो अपहरण, हत्या, चोरी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त है-

गिरोह का लीडर व सदस्य पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं-

दिनांक 27.05.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत में अभियुक्तों द्वारा 01 व्यक्ति का अपहरण कर हत्या कर दी थी-

प्रतापगढ़।
श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

अपर पुलिस अधीक्षक,पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में दिनांक 14.10.2024 को एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर दुर्गेश शुक्ला पुत्र रामदुलार शुक्ला निवासी मादूपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ व सदस्य क्रमशः प्रमोद उर्फ पप्पू हरिजन पुत्र मिश्रीलाल निवासी सकरौली थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, अनिल कुमार पुत्र मिश्रीलाल निवासी सकरौली थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, धर्मेन्द्र पुत्र बंशीलाल निवासी मादूपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 333/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामजद सभी गैंगस्टर पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं।

घटना का पूर्व का विवरण-
गैंग लीडर दुर्गेश शुक्ला व सदस्य क्रमशः प्रमोद उर्फ पप्पू हरिजन, अनिल कुमार, धर्मेन्द्र के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है। जिसमे गैंग लीडर लीडर दुर्गेश शुक्ला जनपदीय स्तर का शातिर अपराधी है जो अपहरण, हत्या, चोरी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त है।

इस गिरोह द्वारा दिनांक 27.05.2024 को सत्यजीत ओझा उर्फ बजे बडे लाल ओझा का अपहरण कर हत्या कर दी गयी एवं उसका शव बकुलाही नदी के किनारे गाड़ दिया गया था। इस संबंध में सत्यजीत ओझा के पिता गया प्रसाद ओझा की तहरीर पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 364/302/201 भादवि थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ में पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घटना का शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए थे । जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान गैंग लीडर दुर्गेश शुक्ला व सदस्य क्रमशः प्रमोद उर्फ पप्पू हरिजन, अनिल कुमार, धर्मेन्द्र उपरोक्त की निशानदेही पर मृतक का शव बरामद हुआ । पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर गैंग लीडर दुर्गेश शुक्ला व सदस्य क्रमशः प्रमोद उर्फ पप्पू हरिजन, अनिल कुमार, धर्मेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 364/302/201 भादवि माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है । गैंग द्वारा अपहरण करके हत्या करना तथा शव को छिपा देने जैसा जघन्य अपराध किया गया है ।

गैंग लीडर व गैंग सदस्य का आपराधिक इतिहास-

01- दुर्गेश शुक्ला पुत्र रामदुलार शुक्ला निवासी मादूपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़-
मु0अ0सं0 172/2024 धारा 1364, 201, 302 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।
मु0अ0सं0 571/20216 धारा 279,338,427 भादवि थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।
मु0अ0सं0 45/2023 धारा 498ए,323504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट महिला थाना जनपद प्रतापगढ़ ।

02- प्रमोद उर्फ पप्पू हरिजन पुत्र मिश्रीलाल निवासी सकरौली थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़-
मु0अ0सं0 172/2024 धारा 1364, 201, 302 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

03- अनिल कुमार पुत्र मिश्रीलाल निवासी सकरौली थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।
मु0अ0सं0 172/2024 धारा 1364, 201, 302 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।
मु0अ0सं0 154/2024 धारा 363 भादवि थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ ।

04- धर्मेन्द्र पुत्र बंशीलाल निवासी मादूपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़-
मु0अ0सं0 172/2024 धारा 1364, 201, 302 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान– जीरी टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है । अपराधियों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा । शीघ्र गिरफ्तार कर अपराधियों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही जारी है। शांत एवं सुरक्षित समाज निर्माण में प्रतापगढ़ पुलिस का सहयोग करें ।

डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज के उ0नि0 गोविन्द दुबे मय हमराह हे0का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0-436/12 व अ0सं0-61/12 धारा 363,366,376 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त रमेश कुमार यादव पुत्र रामदास यादव निवासी ग्राम बदली का पूरवा नरियावां थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त रमेश कुमार यादव पुत्र रामदास यादव निवासी ग्राम बदली का पूरवा नरियावां थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 गोविन्द दुबे मय हमराह हे0का0 अमित कुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह का0 अनील यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान एसटी नं0-521/2021 अ0सं0-61/11 धारा 363,366,376,442,506 भादवि व 3(2)(V) SC/ST ACT से संबंधित वारण्टी अभियुक्त विनोद कुमार विश्वकर्मा पुत्र गनेश विश्वकर्मा निवासी किशुनगंज थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त विनोद कुमार विश्वकर्मा पुत्र गनेश विश्वकर्मा निवासी किशुनगंज थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह का0 अनील यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।